scale; and (iii) enhancement of the retirement age of educational administrators from 58 years to 60 years.

The proposals have been considered and Government is of the view that:—

(i) Instead of giving fixed medical allowance, irrespective of actual need, a medical insurance would be more appropriate;

(ii) The concept of a running pay scale to the teachers has not been accepted by the Government. Based on the recommendations of the Fourth Central Pay Commission and those of Chattopadhayya Commission, the teachers have been given w.e.f. 1.1.86 improved three-tier pay scales plus teaching allowance. At this stage when the Fifth Central Pay Commission is examining revision of all pay scales and service conditions, revision in pay scales or change in

उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति

4962. चौधरी हरमोहन सिंह :
श्री आस मोहम्मद :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्दू को प्रोत्साहन न दिए जाने की वजह से उर्दू शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार में की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए उर्दू शिक्षकों की राज्यवार संख्या क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शलजा) : (क) से (ग) उर्दू के संवधन के लिए उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति और उर्दू सीखने के वास्ते छात्राओं को प्रोत्साहनों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीम सरकार के विचाराधीन है ।

मध्य प्रदेश में नवोदय विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण

4963. **श्रीरा रावजी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1994 को स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में कार्यरत नवोदय विद्यालयों की संख्या क्या है ;

(ख) इनमें से उन विद्यालयों की संख्या क्या है जिनके पास अपने भवन नहीं हैं और उन विद्यालयों की संख्या क्या है जिनके लिये भवनों को निर्मित करने के उद्देश्य से धनराशि मंजूर कर दी गई है ;

(ग) उन विद्यालयों की संख्या क्या है जिनके भवन निर्माणाधीन हैं और उन विद्यालयों की संख्या क्या है जिनके भवनों का निर्माण कार्य 31 दिसंबर, 1994 तक शुरु नहीं किया गया था और निर्माण कार्य शुरु नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उपभोक्त भाग (ग) में उल्लिखित प्रत्येक विद्यालय के भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) मध्य प्रदेश राज्य में 31-12-94 को 44 जवाहर नवोदय विद्यालय कार्यरत थे ।

(ख) और (ग) 21 नवोदय विद्यालय अस्थायी स्थलों पर कार्य कर रहे हैं । नवोदय विद्यालय समिति ने 43 जवाहर नवोदय विद्यालयों के संबंध में स्थायी निर्माण कार्य शुरु करने के लिए प्रशासनिक संस्वीकृति पहले ही प्रदान कर दी है, जिनमें से 40 जवाहर नवोदय विद्यालयों में निर्माण कार्य पहले ही शुरु कर दिया गया है ।

(घ) विद्यालयों के निर्माण कार्य का पूरा किया जाना शेष तीन मामलों में राज्य सरकार से अपेक्षित भूमि के हस्तांतरण और पर्याप्त निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होगा । क्योंकि प्रत्येक नवोदय विद्यालय के मामल में पर्याप्त निर्माण कार्य होना है, अत: सभी मामलों में निर्माण पूरा किए जाने में कुछ समय लगगा । नवोदय विद्यालय समिति इसे यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है ।

News report on SAI

4964. SHRI ANANT RAM JAISWAL:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report appearing in Indian Express dated the 30th December, 1994 about Sports Authority of India; and

(b) if so, what is the reaction of Government and action taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI MUKUL WASNIK): (a) Yes, Sir.

(b) The Indira Gandhi Stadium was constructed during Asiad '82. The architech of the Stadium M/s. Sharat Dass and Associates were temporarily accommodated in the premises of Indira Gandhi Stadium, free of any rental charges till the completion of the project by DDA. Subsequently, the ownership of the Indira Gandhi Stadium was transferred to Sports Authority of India (SAI) w.e.f. 15.1.1987 alongwith the area occupied by the architect. In order to pre-empt any action for eviction, M/s. Sharat Dass & Associates filed a case in the Court of Additional District Judge and obtained a Stay Order with status quo as on 18.2.1987. However, the petition was dismissed by the Court on 10.12.1993.

Since the ownership of the Stadium vests with the SAI, a notice was served on the firm under the provisions of Public Premises (Eviction & Unauthorised Occupants) Act for early eviction and recovery of rent. In the meanwhile, before the orders of eviction could be implemented, the firm filed a petition in the Delhi High Court and obtained an order retaining the status quo. Next date of hearing of the case has been fixed on 15.05.1995.

राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति

4965. श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 24-3-95 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1798 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयोग के नव-नियुक्त अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के चयन संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य को उचित प्रतिनिधित्व दिया है ;

(ग) क्या निवर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना अंतिम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवदन की मुख्य बातें और सिफारिश क्या-क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एंव बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) राष्ट्रीय महिला आयोग में इस समय श्रीमती गंगा पोटई सदस्य तथा सुश्री ऐनी प्रसाद सदस्य-सचिव के रूप में कार्यरत हैं